बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

सोमवार, तिथि ७ नवम्बर, १९६०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में तिथि ७ नवम्बर १९६० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री दीप नारायण सिंह—महोदय, मैं द्वितीय बिहार विधान-सभा के सप्तम् सत्र (फरवरी—जून, १९६०) के शेष १७०३ अनागत प्रश्नों में से २५६ प्रश्नों का उत्तर सभा की मेज पर रखता हूँ। शेष प्रश्नों का उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

सूची।

क्रम सं०।	सदस्यों का नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री शुभ नारायण प्रसाद	२०
२	श्री बिपिन बिहारी सिंह	४५, १०६६, १२७८, १९२८, २९५४
३	श्री बद्री सिंह	११८, ७०५, ११३४, ११३५, १८६१, ३१५८।
४	श्री कार्यानन्द शर्मा	१३१, ८८५, ९४१, १०१२, ११६४
५	श्री सभापति सिंह	२११, ९४९, ११७२, १६२१, २७७३, २९६४।
६	श्री चन्दू राम	२१३, ५३०, १६३६
७	श्री रामचरण किस्कू	२१४, १७७३, २३१०
८	श्री फिदा सैन	२१५, १७४५, २५९२
९	श्री शीतल प्रसाद भगत	२१६, २६००
१०	श्री देवनन्दन प्रसाद	२१७, ८३७, २४३८, २५८२
११	श्री लखन लाल कपूर	२१८, ३४५, १७७६, २१६८
१२	श्री जवार हुसैन	२३९

Starred Questions and Answers.

तारांकित प्रश्नोत्तर।

SUBDIVISION AT JHANJHARPUR.

2. Shri RADHANANDAN JHA: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal before the Government to create a separate subdivision at Jhanjharpur in Darbhanga district; if so, the period by which the proposal will be materialised?

श्री केदार पाण्डेय--जिला तथा अनुमंडल के क्षेत्र से संबंधित पुनर्गठन का प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है, अतएव अभी इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री राधा नन्दन झा--मैं यह जानना चाहता हूँ कि दरभंगे जिले में झंझारपुर को सबडिवीजन बनाया जा रहा है या नहीं? क्या यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्री केदार पाण्डेय--मैंने बताया कि जिला तथा अनुमंडल के क्षेत्र से संबंधित पुनर्गठन का प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है, इसलिये इसमें झंझारपुर का नाम है या नहीं, यह कहना ठीक नहीं होगा?

PETITION FILED BY VIJOY CINEMA FOR PERMANENT LICENCE.

4. Shri RAMANAND TIWARI: Will the Chief Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that the proprietor of Vijoy Cinema at Nawadah, Gaya had filed a petition before the District Magistrate, Gaya on the 9th November 1959 for the grant of a permanent licence for cinema show at Nawadah;

(2) whether it is a fact that District Officers alone are empowered to grant licence of cinema shows under section 11 of the Cinematograph Act of 1950 and the State Government cannot interfere in the exercise of power under the Act;

(3) whether it is a fact that over the head of the District Magistrate, Gaya the State Government extended the time target of the Sarswati Cinema, Nawadah for six months which adversely affected the Vijoy Cinema; if so, why?

श्री केदार पाण्डेय--(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) १९५० का कोई सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट नहीं है राज्य सरकार को बिहार सिनेमाज (रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५४ के अन्तर्गत लाइसेंस देने के प्रश्न पर नियंत्रण करने का अधिकार है।